A-PDF Image To PDF Demo. Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

(श्री हिम्मत सिंह आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

दावा संख्या :– 179/2007
निर्णय दिनांकः– 27.05.2014

उनवान

सीताराम पुत्र रामचन्द्र जाति कुम्हार निवासी रूपवास तहसील उनियारा जिला टोंक
– वादी

बनाम

1. कालू उर्फ काल्या पुत्र रामचन्द्रा जाति कुम्हार निवासी रूपवास तहसील उनियारा जिला टोंक
2. बदाम पुत्री रामचन्द्रा पत्नि बद्रीलाल जाति कुम्हार निवासी रूपवास हाल बडागांव तहसील बौंली जिला सवाईमाधोपुर राज0
3. तहसीलदार उनियारा जिला टोंक

–प्रतिवादीगण

दावा तकासमा आराजीयात व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः– श्री बद्रीलाल यादव वकील वादी
श्री बी.यू. खान वकील प्रतिवादी न0 1

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात ख.नं.98 रकबा 0.29है0, ख.न. 100 रकबा 0.35है. ख.न. 314/1 रकबा 0.32 है0 कुल किता 3 रकबा 0.96 है0 तथा उपरोक्त आराजियात चाह नम्बर 113 से सिंचित होती है, गे0मु0 चाह खसरा नम्बर 113 में वादी एंव प्रतिवादी न0 1 का हि.1/4 है। खसरा नम्बर 930 रकबा 1.25 है0 में एक गे0मु0 चाह जो सेटलमेन्ट के बाद में खुदवाया है, जिसका राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नही है, जिससे खसरा नम्बर 930 सिंचित होता है, जिसमें वादी का हिस्सा 1/3है। प्रतिवादी न. 1 व उसके पत्नि व बच्चे वादी को अपने हिस्से की आराजियात को काश्त करने व सिंचाई करने से मना करते है। जबकि उक्त आराजियात वादी व प्रतिवादी की पुश्तैनी आराजियात है। जब वादी अपने कुवे पर जा रहा था तो प्रतिवादी न. 1 मारपीट करने पर आमादा हो गया तथा ऐलानिया कहा कि हम तुझे इस कुए से पानी नही लेने देगें तथा जमीन पर भी कब्जा करके रहेगे। अतः वादग्रस्त आराजी ख0न0 98,100,314/1 हिस्सा 1/2 तथा गे0मु0 चाह ख0न0 113 में वादी का हिस्सा 1/8 व खसरा नम्बर 930 रकबा 1.25 है0 में वादी का हिस्सा 1/3 हिस्से को पृथक से खातेदारी प्रदान कर अलग खाता बनाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तथा प्रतिवादीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वह वादी के हिस्से में किसी प्रकार का मजमाहत व मदाखलत नही करे ना चाह खसरा नम्बर 113 व 930 से पानी लेने में कोई व्यवधान डाले। ना तो प्रतिवादीगण स्वयं ओर ना ही जरिये ऐजेन्ट, नोकर अथवा प्राधिकृत या पारिवारिक व्यक्तियो द्वारा ही करावे।

उक्त वाद पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ते ली जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

पत्रावली दिनांक 22.12.2008 को पेश हुई। वादी एंव वादी के वकील को बार बार रुक रुक कर आवाज लगाई गई। वादी या वादी के वकील उपस्थित

नही हुये। अतः वाद अदम अदम पैरवी में खारिज किया गया। दिनांक 06.02.2009 को प्रार्थना पत्र वादी बाज दायरी मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दावा पुनः नम्बर पर लिया गया।

प्रतिवादी नं. 2 की ओर से दिनांक 21.08.2009 को विद्वान अधिवक्ता श्री गजेन्द्र शर्मा ने इकबाली जवाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादी नम्बर 1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री बकरत उल्लाह खान ने दिनांक 05.08.2010 कासे जवाब दावा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी ने कॉफी रुपया खर्च करके मिट्टी डालकर काश्त योग्य बनाई है, उक्तवा वादी एंव प्रतिवादी न.2 ने साजिस करके प्रस्तुत किया है।वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी न. 1 का तन्हा कब्जाकाश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी न. 2 व वादी का उक्त आराजियात पर कभी कब्जा काश्त नही रहा है। वादी खातेदार काश्तकार है तथा उसे पाबन्द करने का कोई अधिकार नही बनता है। अतः वादी का वाद मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

जवाब दावे उपरान्त वाद मे निम्न तनकियात कायम की गई:–

1.आया वादी वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 98,100,314/1 कुल किता 3 रकबा 0.96है0 वाके ग्राम रुपवास तहसील उनियारा में वादी का हिस्स 1/2 तथा गे0मु0 चाह ख0न0 113 में वादी का हिस्सा 1/8 व खसरा नम्बर 930 रकबा 1.25 है0 गे0मु0 चाह में वादी का हिस्सा 1/2 हिस्से की पृथक से खातेदारी प्राप्त करने तथा अपने हिस्से की आराजियात पर से प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है?

–– वादी

2.आया वादग्रस्त आराजियात पर प्रतिवादी न0 1 का तन्हा कब्जा काश्त है, कब्जे के अभाव में वा वादी चलने योग्य नही है?

–– प्रतिवादी न. 1

वादी ने अपने वाद के समर्थन में निम्न दस्तावेज पेश किये है:–

नकल नक्शा ट्रेस वाके ग्राम रुपवास प्रदर्श–1, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2062 से 2065 खाता संख्या 11 वाके ग्राम रुपवास तह0 उनियारा प्रदर्श–2, वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन मे पी0डब्लू0 1 सीताराम, पी0डब्लू0 2 झीतू, पी0डब्लू0 3 तेजमल के बयान कलमबद्ध करवाये।

प्रतिवादीगण को बार बार अवसर देने पर भी उनकी ओर से साक्षी पेश होने से दिनांक 27.02.2012 को साक्ष्य प्रतिवादी बन्द किया गया। दिनांक 27.02.2014 को उभय पक्षो की बहस सुनी गई। दौराने बहस उभयपक्षो के वकीलो ने मैके पर कब्जाकाश्त के आधार पर निर्णय करने हेतु सहमति जाहिर

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि वे उपरोक्त वादग्रस्त आराजीयात वाके ग्राम रुपवास तहसील उनियारा का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर कब्जे काश्त के आधार पर विभाजन हेतु कूर्रेजात कायम कर रिपोर्ट भिजवावे।

यह निर्णय आज दिनांक 27.05.2014 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

हिम्मत सिंह
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी उनियारा